20.09.2024. वुकलाए फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रार्थी अप्रार्थी की सहमति व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या : 61/2024 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :–

1. नीलम सहारण पत्नी हरवीरसिंह जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. शांतिदेवी पत्नी रामजस जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. रमेशकुमार पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी 5 एन डी आर डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील पल्लु।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अर्जनलाल वर्मा वकील –प्रार्थीगण
श्री अमरसिंह भणभैरू वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2
राजपेरोकार अप्रार्थी सं. 3

निर्णय दिनांक:– 20.09.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थीगण ने दिनांक 12.08.2024 को विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रेखराखासर तहसील पल्लू के खसरा नम्बर 205/157 मे 1.3026है0 भूमि स्थित हैं, जिस पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के चिपते ही उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खसरा न0 204/157 की 0.6512है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा न0 204/157 की दक्षिणी–पुर्वी सीवं पर 30 फुट चौडे एव 155 फुट लम्बे रास्ता अर्थात 0.043है0 जो नजरिया नक्शा मे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, से होते हुए मन्जुर शुदा सडक से आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 205/157 की कृषि भूमि मे आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित 30गुणा155 फुट रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधा जनक व मंजुर शुदा व नजदीक रास्ता नहीं हैं। उक्त रास्ता ही सबसे नजदीक रास्ता हैं, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रेखराखासर के खसरा न0 205/157 मे आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम रेखराखासर तहसील पल्लु के खसरा न0 204/157 की 0.6512है0 भूमि मे दक्षिणी तरफ 30 फुट चौडा व 155 फुट लम्बा अर्थात 0.043है0 भूमि मे रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कई बार कहा कि वे प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 205/157 की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए खसरा न0 204/157 के दक्षिणी–पुर्वी सीवं पर चालु रास्ता की मन्जुरी देवें तथा उक्त रास्ता में आई हुई भूमि के बदले प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 205/157 ... भूमि अथवा उक्त रास्ता की भूमि में आई हुई भूमि के बदले डीएलसी दर ... राशि ले लेवे परन्तु अप्रार्थीगण आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

Scanned with OKEN Scanner

कल-आज कल करते रहे आखिर आज से सात रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण की उक्त बात मानने से इन्कार कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 से निवेदन किया कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 205/157 में आवगामन के लिए खसरा नम्बर 204/157 की भूमि में दक्षिणी-पुर्वी सींव पर चालू रास्ता को स्वीकृत कर देवे परन्तु आज से दो रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 3 ने भी उक्त रास्ता को स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया तथा कहा कि न्यायालय के आदेश लेकर आओं। यही कारण प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को रास्ता में आई हुई भूमि के बदले भूमि या राशि देने के लिए तैयार हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी रेखराखासर बहक नीलम सहारण वगैरह, जमाबन्दी रेखराखासर बहक मनीराम वगैरह, नजरी नक्शा पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.09.2024 को अप्रार्थी सं. 1 व दिनांक 11.09.2024 को अप्रार्थी सं. 2 ने जरिये वकील श्री अमरसिंह भणभैरू व वकील श्री मदनलाल वर्मा उपस्थित आकर ईकबाल प्रार्थना पत्र पेश किये। तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपने पत्र कमांक 873 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश की।

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता को स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार आदि के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की ग्राम रेखराखासर तहसील पल्लु के खसरा नम्बर 205/157 कीं कृषि भूमि मे आवगमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि ग्राम रेखराखासर तहसील पल्लु के खसरा नम्बर 204/157 में दक्षिणी-पुर्वी सीवं पर 30 फुट चौड़ा व 155 फुट पुर्व से पश्चिम लम्बा अर्थात 0.043है0 भूमि को मुताबिक नजरी नक्शा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को पत्र लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 20.09.2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner